भोपाल, रविवार
13
अप्रैल-2025

दैनिक
पीपुल्स प्रवक्ता

भोपाल, ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित

/Peoplespravakta

E-paper www.peoplespravakta.com | वर्ष: 08 | अंक : 364 | पृष्ठ : 08 | मूल्य : 02 रूपए | E-mail Peoplespravakta@gmail.com

सुविचार

शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल मीठा होता है।

मुख्यमंत्री ने महू में हाईटेक सुविधाओं से युक्त कामधेनु गौ-शाला का किया भूमि-पूजन

गौ-शालाओं से मध्यप्रदेश में गौ-सेवा की लिखेंगे नई इबारत: मुख्यमंत्री

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में गौ-संरक्षण और संवर्धन की दिशा में राज्य सरकार द्वारा तेजी से संकल्पबद्ध होकर कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन?द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए गौ-शालाओं के विस्तार के लिए योजनाबद्ध रूप से प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौ-शालाओं के माध्यम से गौ-सेवा की नई इबारत लिखी जाएगी और प्रदेश में नई दुग्ध क्रांति लाई जाएगी। इससे दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ ही दुग्ध उत्पादकों की आमदनी में भी वृद्धि की जाएगी। हमारा प्रयास है कि दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध के बेहतर दाम मिले। इस दिशा में हम तेजी से प्रयास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को इंदौर जिले के महू-मण्डलेश्वर मार्ग पर स्थित आशापुरा में प्रदेश में हाईटेक कामधेनु गौ-शाला के भूमि-पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस गौ-शाला में 10 हजार गायों के पालन-पोषण की व्यवस्था रहेगी। यह गौ-शाला लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाई जा रही है। इस गौ-शाला का निर्माण इंदौर नगर निगम द्वारा किया जायेगा। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी नगर निगम ही संभालेंगी। गौ-शाला के संचालन में संत समाज का सहयोग भी लिया जायेगा। गौ-शाला के संचालन में समाजसेवी निःस्वार्थ भाव से गौ-सेवा के कार्यों में जुड़ सकेंगे। गायों के पालन और संरक्षण के लिये सभी जरूरी सुविधाएं गौ-शाला म रहेंगी। गौ-शाला क्षेत्र में सघन पौध-रोपण भी किया जायेगा। कार्यक्रम में महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, राज्यसभा सदस्य सुश्री कविता पाटीदार, विधायक सुश्री उषा ठाकुर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवीय, श्री सुमित मिश्रा, श्री श्रवण चावड़ा, श्री निरंजन सिंह चौहान सहित जनप्रतिनिधि और स्वामी श्री अच्युतानंद जी महाराज विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सभी वर्ग की बेहतरी के लिए राज्य सरकार द्वारा संकल्पबद्ध होकर प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। कृषि क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य शासन द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। हमारी सरकार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के भी निरंतर प्रयास कर रही है। साथ ही हमारे प्रयास है कि दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध के बेहतर दाम मिले। अभी देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 9 प्रतिशत उत्पादन मध्यप्रदेश में है, इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निराश्रित गौ-वंश की समस्याओं का समाधान गौ-शालाओं के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रदेश के सभी बड़े नगरों में हजारों गौ-वंश क्षमता की गौ-शालाएँ स्थापित कर उनका बेहतर संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इंदौर में भी अब 10 हजार गौ-वंश क्षमता की अत्याधिनक सुविधाओं से युक्त गौ-शाला बनायी जा रही है। यह कामधेनु गौ-शाला अद्भुत होगी। उन्होंने कहा कि गौ-शालाओं के विकास में शासन के साथ समाज की सहभागिता भी सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने आहवान किया की समर्पण और सेवा भाव के साथ समाज का हर वर्ग गौ-शाला के संचालन में सहयोग के लिये भागीदार बने। राज्य शासन द्वारा गौ-शालाओं के विकास और विस्तार में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जायेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम के प्रारंभ में गौमाता का पूजन कर गौ-ग्रास भी खिलाया। मुख्यमंत्री ने बछिया को गोद में लेकर स्नेह से दुलार किया। महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव ने अपने सम्बोधन में कहा कि मध्यप्रदेश में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में विकास की नयी इबारत लिखी जा रही है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गौ-वंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये कृत संकल्पित होकर कार्य किये जा रहे हैं। हातोद स्थित गौ-शाला का कायाकल्प किया गया। इसे उच्च सुविधाओं से युक्त किया गया है। इससे गायों की संख्या बढ़कर 650 से 2 हजार हो गयी। इंदौर देश की एकमात्र ऐसी नगर निगम होगी जहाँ गौ-सेवा के लिये सवा सौ बीघा भूमि पर गौ-शालाये होंगी। स्वामी श्री अच्चुतानंदजी महाराज ने कहा कि गौ-रक्षा की दिशा में यह सबसे बड़ा प्रकल्प है। यह गौ-शाला देश की अन्य गौ-शालाओं के लिये उत्कृष्ट उदाहरण बनेगी। गौ-वंश का संरक्षण एवं संवर्धन अब जन-आंदोलन बन गया है।

नगर निगम इंदौर द्वारा महू तहसील के आशापुरा ग्राम में कामधेनु गौ-शाला का निर्माण प्रारंभ किया गया है। इस गौ-शाला के लिए कलेक्टर इंदौर द्वारा लगभग 25 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर गौ-वंश के संवर्धन हेतु नगर निगम इन्दौर के अधिपत्य में दी गयी है। उक्त भूमि पर नगर निगम इंदौर द्वारा गौ-वंश संवर्धन के उददेश्य से कार्य योजना तैयार की गई है। इसमें कुल 10 हजार गौ-वंश के लिये लगभग 8 शेड बनाये जायेंगे। प्रत्येक शेड के साथ में गौ-वंश के सुगम विचरण हेतु खुला स्थान रहेगा। परिसर में गौ-वंश के आहार भण्डारण हेत भूसाघर एवं दानाघर का प्रावधान किया गया है। बीमार गौ-वंश की देखभाल हेतु विशेष सविधाओं से युक्त पृथक शेड का निर्माण किया जायेगा।

गौ-माता की सेवा हमारी संस्कारों का अहम हिस्सा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गौ-माता की सेवा हमारी संस्कृति एवं संस्कारों का अहम हिस्सा है। गौ-माता में 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास होता है, जो हमारे लिये पूजनीय है। उन्होंने कहा कि गौ-वंश के संरक्षण और संवर्धन के लिये राज्य शासन ?निरंतर प्रयासरत है। हमने यह वर्ष गौ-माता की सेवा को समर्पित किया है। गौ-वंश को बढ़ावा देने के लिये डॉ. भीमराव अम्बेडकर के नाम से योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना में गौ-वंश पालकों को अनुदान दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि गौ-संरक्षण एवं गौ-संवर्धन के लिये मध्यप्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में स्वावलंबी गौ-शालाओं की स्थापना नीति-2025 बनायी गयी है। निराश्रित गौ-वंश की समस्या का समाधान गौ-शालाओं की स्थापना से किया जा रहा है।

नेशनल हेराल्ड केस- ईडी जब्त करेगी 661 करोड़ की संपत्तियां

दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की 3 प्रॉपर्टीज पर नोटिस चिपकाए

नई दिल्ली, एजेंसी

प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करेगी। श्रेष्ठ ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसने 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया है। ED ने PMLA एक्ट की धारा 8 और एसोसिएटेड नियमों के नियम 5(1) के अनुसार संबंधित संपत्ति रजिस्ट्रार को दस्तावेज सौंपे हैं, जहां ये संपत्तियां हैं। ED ने कब्जे में लिए जाने वाले परिसर को खाली करने की मांग की है। 661 करोड़ की इन अचल संपत्तियों के अलावा AJL के 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को ED ने नवंबर 2023 में अपराध की आय को सुरक्षित करने और आरोपी को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क किया था।

मुंबई में बनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की प्रॉपर्टी

ईडी ने मुंबई के बांद्रा में हेराल्ड हाउस की 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल पर स्थित जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस दिया गया है, कि वह हर महीने किराया/लीज राशि प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के पक्ष में ट्रांसफर करे।

सोनिया-राहुल हुई थी पूछताछ

जून 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे पूछताछ हुई थी। फिर 21 जुलाई 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे सवाल हुए थे। इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए गए। ईडी ने राहुल गांधी से भी जून में पांच दिनों में 50 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी।

हिमाचल के पर्यटन स्थल टूरिस्ट से हुए गुलजार

शिमला, एजेंसी। देश के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषम गर्मी से बचने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। इससे पर्यटन स्थलों पर रौनक लौट आई है। मंगलवार तक छुट्टी की वजह से काफी टूरिस्ट अगले 4-5 दिन के लिए होटलों में एडवांस बुकिंग कर रहे हैं और ठंडे इलाकों की सैर पर आ रहे हैं। शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला के होटलों में इससे शुक्रवार को ही 60 प्रतिशत से ज्यादा ऑक्युपेंसी हो चुकी है। पर्यटन कारोबारियों के अनुसार, अप्रैल के दूसरे सप्ताह में इससे पहले कभी भी 50 फीसदी से ज्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं हुई। लोंग वीकेंड की वजह से अगले दो-तीन दिन के दौरान शत-प्रतिशत ऑक्यूपेंसी की उम्मीद है। प्रदेश के होटलों में ज्यादा टूरिस्ट पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से पहुंच रहे है।

देशभर में यूपीआई सर्विस 3 घंटे रही डाउन

पीपुल्स प्रवक्ता, मुंबई।

देशभर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI सर्विस करीब तीन घंटे डाउन रही। शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे से 1:00 बजे तक सबसे ज्यादा पेमेंट फेल्योर रिपोर्ट की गई। दोपहर करीब 3:00 बजे तक पेमेंट करने में दिक्कतें आई। बीते 20 दिन में यह तीसरी बार है जब ट्रांजैक्शन में समस्या हुई। वेबसाइट और ऑनलाइन सर्विसेज की रियल टाइम स्टेटस बताने वाला प्लेटफॉर्म डाउन डिटेक्टर के अनुसार समस्या फेस कर रहे करीब 81% लोगों को पेमेंट करने में समस्या आई। 17 प्रतिशत लोगों को फंड ट्रांसफर करने और लगभग 2 प्रतिशत को खरीदारी करने में दिक्कतें हुई। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया, अभी रुक-रुक कर टेक्निकल इश्यू का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते UPI ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ रही है। हम इस समस्या को हल करने के लिए काम कर रहे हैं और आपको अपडेट रखेंगे। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है।

वक्फ कानून का विरोध में 3 की मौत

भीड़ ने पिता-बेटे की पीट-पीटकर ले ली जान

मुर्शिदाबाद, एजेंसी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए हैं। विधानसभा में नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर कोर्ट ने आदेश जारी किया है। वक्फ कानून के विरोध में राज्य में 10 अप्रैल से हिंसा जारी है। मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार को फिर हिंसा भड़क गई।

हिंसक भीड़ ने पीट-पीटकर पिता-बेटे की हत्या कर दी। इनकी पहचान हरगोविंद दास (पिता) और चंदन दास (बेटे) के रूप में हई है। दोनों हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। वहीं, गोली लगने से एक अन्य घायल हो गया। हिंसा जिले के शमशेरगंज ब्लॉक के धुलियान में हुई। कल यानी 11 अप्रैल को भी धुलियान

में हिंसा भड़की थी। यहां एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसकी आज अस्पताल में मौत हो गई। लिहाजा मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ADG (लॉ एंड ऑर्डर) जावेद शमीम ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया- आज की घटना का ब्योरा अभी उपलब्ध नहीं है। पुलिस की ओर से गोली नहीं चली है, क्रास्त्र की ओर से हो सकता है। ये शुरुआती जानकारी है। घायल खतरे से बाहर है। अब तक 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को भड़की हिंसा में भीड़ ने पिता-बेटे की पीट-पीटकर हत्या कर दी। शनिवार को भड़की हिंसा में भीड़ ने पिता-बेटे की पीट-पीटकर हत्या कर दी।

ममता बोलीं- दंगा न करें, सबकी जान कीमती: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा- वक्फ कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। कानून केंद्र ने बनाया है, इसलिए जो जवाब आप चाहते हैं, वह केंद्र से मांगा जाना चाहिए। मेरी अपील है कि शांत रहें। सबकी जान कीमती है, राजनीति के लिए दंगे न भड़काएं। मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में 11 अप्रैल को हिंसा हुई थी।

राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति पर भी एससी सख्त, कहा-

राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं, 3 महीने में बिल पर फैसला अनिवार्य

नई दिल्ली, एजेंसी।

8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के मामले पर गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। अपनी तरह के पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने देश के राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। दरअसल, 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में ऐतिहासिक फैसला लिया था। अदालत ने कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर एक महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया। शुक्रवार रात वेबसाइट पर अपलोड किए गए ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 का हवाला दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-

राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 201 कहता है कि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे। उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे।